



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्रथम तल, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 707 / सम्पदा गो-लाईव - 45 / 2015

भोपाल, दिनांक 11.06.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय - सम्पदा एप्लीकेशन द्वारा ई-पंजीकृत किए जाने वाले संशोधन-पत्र में दस्तावेज के प्रथम पक्षकार का पता अथवा हाल मुकाम उसी स्थान का लिखे जाने बाबत जहां कि सम्पत्ति स्थित है।

उपर्युक्त विषयांतर्गत सम्पदा एप्लीकेशन द्वारा ई-पंजीकृत किए जाने वाले ऐसे संशोधन-पत्र (Correction deed), जिनमें सम्पत्ति का विवरण आवश्यक नहीं है, के संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दस्तावेज के प्रथम पक्षकार का पता अथवा हाल मुकाम अनिवार्य रूप से उसी स्थान का हो, जहां कि दस्तावेज ई-पंजीकृत कराया जाना है।

वस्तुतः कई संशोधन-पत्र ऐसे पूर्व पंजीकृत विलेख से संबंधित भी हो सकते हैं, जिनमें सम्पत्ति का विवरण आवश्यक न हो। ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन द्वारा प्रथम पक्षकार के पते या हाल मुकाम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालय का स्लॉट बुक किया जाएगा। कृपया तदनुसार सेवा-प्रदाताओं तथा पक्षकारों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपाली रस्तोगी)

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 708 / सम्पदा गो-लाईव-45 / 2015

भोपाल, दिनांक 11.06.2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश।